न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 82/2019

1 गोरा देवी पत्नी हनुमान सिंह।
2 सुनिल सिंह पुत्र हनुमान सिंह।
3 अनिल कुमार पुत्र हनुमान सिंह समस्त जाति मेघवाल निवासीगण झाझोत तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 ईश्वरसिंह पुत्र अमरसिंह।
2 लीलाराम पुत्र अमरसिंह।
3 बलराम पुत्र अमरसिंह।
4 रूकमणी देवी पत्नी अमरसिंह।
5 सुशीला पुत्री हनुमान सिंह समस्त जाति मेघवाल निवासीगण झाझौता तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्व
आदेश दिनांक 19.09.2019 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी चिड़ावा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवानी मुकदमा
ईश्वरसिंह बनाम गोरा देवी वगैरह मुकदमा नम्बर
82/2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विपुल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 10.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 82/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ईश्वर सिंह ने आवेदन अंन्तर्गत धारा 251 ए प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 533/208 में प्रवेश कर पश्चिम दिशा की सींव होकर खसरा नम्बर 621/208 तक 12 फुट का रास्ता दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया गया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदनकर्ता ने आवेदन के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत कर नजरी नक्शे अनुसार खसरा नम्बर 533/208 में प्रवेश कर पश्चिम दिशा की सींव होकर खसरा नम्बर 621/208 तक 12 फुट का रास्ता ए से सी नजरी नक्शे में दर्शित ए से बी कटानी रास्ते तक दिलाने का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार की दिनांक 09.02.2018 एवं 31.05.2019 की दो मौका रिपोर्ट संलग्न है इन दोनों मौका रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। मौका रिपोर्ट तैयार करने पूर्व पक्षकारों को सूचित किया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के संदर्भ में कोई अंकन नहीं किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

गया है। ऐसी स्थिति में इन मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत डी एन जे 2021 (2) रेव.पेज नम्बर 1449, 763 प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में आईएलआर से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदनकर्ता ने आवेदन के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत कर नजरी नक्शे अनुसार खसरा नम्बर 533/208 में प्रवेश कर पश्चिम दिशा की सींव होकर खसरा नम्बर 621/208 तक 12 फुट का रास्ता ए से सी नजरी नक्शे में दर्शित ए से बी कटानी रास्ते तक दिलाने का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार की दिनांक 09.02.2018 एवं 31.05.2019 की दो मौका रिपोर्ट संलग्न है इन दोनों मौका रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। मौका रिपोर्ट तैयार करने पूर्व पक्षकारों को सूचित किया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के संदर्भ में कोई अंकन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इन मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थीगण अपीलान्टस की ओर से मौका रिपोर्ट दिनांक 31.05.2019 के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय अथवा आदेशिका में इस आपत्ति पर न तो कोई निर्णय किया गया है, न ही विवेचन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांटस द्वारा रास्ते के संदर्भ में की गई लिखावट दिनांक 21.08.2015 भी फर्द के साथ प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में इस पर भी कोई विवेचन अथवा निर्णय नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर उभयपक्ष की आपत्ति सुनकर विधिक प्रकिया अनुसार प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर